



सत्यमेव जयते

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार



श्रीमती सोनिया गांधी
अध्यक्ष, यूपीए



डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

‘अब हम भी पढ़-लिख कर आगे बढ़ेंगे’



शिक्षा का अधिकार

बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत
6-14 वर्ष आयुवर्ग के हरेक बच्चे के लिए निम्नलिखित अधिकारों का प्रावधान है

- प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश, पढ़ाई में भागीदारी, पढ़ाई का समापन
- स्कूल का तनाव मुक्त अनुभव - कोई शारीरिक सजा नहीं, कोई मानसिक उत्पीड़न नहीं, अगली कक्षा में प्रोत्तति अनिवार्य और स्कूल से निष्कासन वर्जित
- बच्चों के अनुकूल पाठ्यक्रम जो संविधान में अंतर्निहित मूल्यों के अनुसार हो



यूपीए के दो वर्ष

भारत निर्माण
का सपना बुना
तरकी हुई
कई गुणा